फर्द अहकाम

नरेश बनाम राज. सरकार वगैरह

...ारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

......31...../2023 धारा

...आज्ञा ...र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/02/26	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष, वास्ते बहस प्रा. पत्र 07/11 [illegible] दिनांक 10/3/26 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला-कोटपूतली बहरोड़)	
10/03/26	पत्रा० पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रा. पत्र 07 रू. 11 पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन किया। पत्रा० का अवलोकन किया गया। वास्ते आदेश प्रा. पत्र 07 रू. 11, पत्रावली दिनांक 24/03/26 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	
24/03/26	पत्रावली आज आदेशार्थ पेश की। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय डिक्री पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा, RAS

वाद पत्र संख्या :– 31/2023 दर्ज दिनांक – 10.04.2023

उनवान

नरेश पुत्र छाजुराम जाति अहीर निवासी कूनेड, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

वादी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड
2. गोपाल पुत्र दुर्गा
3. बृजमोहन पुत्र हरिराम
4. महेश पुत्र हरिराम
5. राधेश्याम पुत्र रामरतन
6. बिमला पत्नि हरिराम
7. बनवारी पुत्र बन्शी
8. हजारी पुत्र भूरा
9. हनुमान पुत्र भूरा समस्त जाति अहीर निवासी कूनेड, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

प्रतिवादीगण

1. कमलेश पुत्र छाजुराम
2. केलादेवी पुत्री छाजुराम
3. कान्ता पुत्री छाजुराम
4. रजनी पुत्री छाजुराम
5. संतोष पुत्री छाजुराम
6. सुमन पुत्री छाजुराम समस्त जाति अहीर निवासी कूनेड, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0

निर्णय दिनांकः 24.03.2026

1. प्रतिवादी संख्या 03/प्रार्थी बृजमोहन के द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक बंसल के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी निम्न भांति प्रस्तुत किया कि उक्त उनवानी वाद में मान्य न्यायालय में आज की तारीख पेशी नियत है। उक्त वाद वादी ने बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जिसमें वादी मात्र नक्शे की आकृति में परिवर्तन करना बताता है। किन्तु किस दिशा में परिवर्तन हुआ है इस बाबत वादी ने अपने वादपत्र में कोई तथ्य अंकित नही किये है। इस कारण वादी को उक्त वाद बाबत वादकरण नही है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादकारण के अभाव में दावा खारिज फरमाने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी/वादी श्री दिलीप सिंह शेखावत के द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी निम्नभांति प्रस्तुत है कि जिम्मन नम्बर 01 जिस प्रकार जाहिर किया है सही है स्वीकार है। जिम्मन नम्बर 02 जिस प्रकार जाहिर किया है गलत है स्वीकार नही है। वाद बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत करना स्वीकार है वादपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित है कि आ.ख.न. 237/0.18, 238/0.45, 242/0.64 वाके मोजा कूनेड को नक्शे में तरमीम करते समय पुराने खसरा नम्बर जो कि 252 से बने थे में 04 एयर भूमि कम करते हुये उक्त भूमि खसरा नम्बर 239/0.70 वाके मोजा कूनेड में तरमीम कर अति वृद्धि कर दी गयी अतः यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी/वादी की 04 एयर भूमि खसरा नम्बर 239 में बढ़ी है जो खसरा नम्बर 239 की आकृति में परिवर्तन से ही दुरूस्त होगी जो दौराने साक्ष्य नये पुराने नक्शे को सुपर इम्पोज करते हुये ओर लेपिंग से ज्ञात होगी राजस्व नक्शे में हर खसरा नम्बर की स्थिति निश्चित होती है जिसकी किसी प्रकार की दिशा दर्शाने की आवश्यकता नही होती है। अप्रार्थी/वादी की 04 एयर भूमि खसरा नम्बर 239 में बढी है जो खसरा नम्बर 239 की आकृति में परिवर्तन से ही दुरूस्त होगी जिस कारण अप्रार्थी/वादी को वाद कारण हासिल है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 मय हर्जे खर्चे भारी कोस्ट के साथ खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वकुलाये फेरिकन की प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 03 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह तथ्य अंकित नही किया कि परिवर्तन किस दिशा में हुआ है इस प्रकार वादीगण को हस्तगत वाद बाबत कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है इस कारण वाद कारण के अभाव में वादपत्र खारीज किये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थी/वादीग ने जवाब प्रार्थना पत्र के वर्णित को दोहराते हुए कथन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष वादीग की ओर से जो वाद प्रस्तुत हुआ है उसमें वादीगण व तरतीबी वादीगण की ओर से एक किता डिक्री नक्शा तरमीम दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। वादी की 04 एयर भूमि नक्शा तरमीम के दौरान कम करके खसरा नम्बर 239 में अति वृद्धि कर दी गयी है जिससे वादी को वादकारण हांसिल है। नक्शा तरमीम दुरूस्ती के उक्त बिन्दू का निस्तारण उभय पक्षों की साक्ष्य लेने के उपरांत ही किया जा सकता है। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रकरण का निस्तारण किये जाते समय वाद पत्र में अंकित तथ्यों को ही गोर किया जा सकता है प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाये गये बचाव अथवा जवाब दावे में उठाये गये तथ्यो व दस्तावेजों के आधार पर व प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर गौर किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी का दावा है कि साबिक खसरा नम्बर 252 का 04 एयर रकबा साबिक खसरा नम्बर 254 में चला गया जो असत्य है चुंकि साबिक खसरा नम्बर 252 व 254 के मध्य खसरा नम्बर 253 स्थित है। खसरा नम्बर 252 वादी व प्रतिवादी की साझे की भूमि है तथा ख.न. 254 प्रतिवादी (गोपाल, बृजमोहन व अन्य) की भूमि है। दावे के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 252 से ख.न. 237, 238, व 242 बने है तथा 253 से 242/2488, 239/2487 बने है तथा 254 से 239 खसरा नम्बर बने है।

स्वयं वादी द्वारा सुपर इम्पोज किया हुआ नक्शा पेश किया गया है जिसमें साबिक खसरा नम्बर काली स्याही व हाल खसरा नम्बर लाल स्याही से दर्शाये हुये है। साबिक व हाल नक्शे को सुपर इम्पोज किया गया है, जिसके अवलोकन से ध्यान आता है कि साबिक न 254 (हाल न. 239) के पूर्व दिशा में स्थिति साबिक न. 253 (हाल न. 239/2487, 242/2488) की पश्चिम भुजा में कोई परिवर्तन नही होना प्रतिवादी की ओर से पेश की गई प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का मुख्य आधार है क्योकि वाद साबिक खसरा नम्बर 252 के नक्शे तरमीम दुरूस्ती का है। वादी द्वारा पेश सुपर इम्पोज नक्शे के अवलोकन से यह भी तथ्य ज्ञात होता है कि वादी की सहखातेदारी की भूमि साबिक नं. 252 के हाल खसरा नम्बर 237 उत्तर पश्चिम कोण में आबादी भूमि नम्बर 236 का कुछ हिस्सा अतिरिक्त लाइन से रकबा बढा हुआ है जो कि रकबा कम होने के विपरित तथ्यों को जाहिर कर रहा है। इसलिए संभवत वादी का पक्ष द्वारा प्रतिवादी की ओर से पेश किये गये प्रा0पत्र के बिन्दु 'नक्शे के किस दिशा में परिवर्तन' को उल्लेख होने के बाद भी वादी के द्वारा अपने जवाब प्रा0पत्र में उल्लेख नही होना संदेह को परिलक्षित करता है एवं दावे का खण्डन स्वयं वादी द्वारा पेश सुपर इम्पोज नक्शा तथा दावे में उल्लेखित साबिक खसरा नम्बरान के मध्य खसरा नम्बर 253 को होना एवं प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार उपरान्त दावा खारिज करने का मुख्य आधार है। इस प्रकार वादी को हस्तगत वाद बाबत कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है इस कारण वाद कारण के अभाव में वादपत्र खारीज किये जाने योग्य है।

ऐसी स्थिति में वाद कारण के अभाव में वादी का वादपत्र प्रथम दृष्टया मेन्टेनेबल नहीं है, कानूनी रूप से बाधित है। वाद वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण मेन्टेनेबल नहीं है। इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 03 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी का वाद इस स्तर पर चलने योग्य नही है। अतः वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 03 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. साधना शर्मा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली-बहरोड़

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़

वाद पत्र संख्या :– 31/2023 दर्ज दिनांक – 10.04.2023

उनवान

नरेश पुत्र छाजुराम जाति अहीर निवासी कूनेड, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
वादी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड
2. गोपाल पुत्र दुर्गा
3. बृजमोहन पुत्र हरिराम
4. महेश पुत्र हरिराम
5. राधेश्याम पुत्र रामरतन
6. बिमला पत्नि हरिराम
7. बनवारी पुत्र बन्शी
8. हजारी पुत्र भूरा
9. हनुमान पुत्र भूरा समस्त जाति अहीर निवासी कूनेड, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

प्रतिवादीगण

1. कमलेश पुत्र छाजुराम
2. केलादेवी पुत्री छाजुराम
3. कान्ता पुत्री छाजुराम
4. रजनी पुत्री छाजुराम
5. संतोष पुत्री छाजुराम
6. सुमन पुत्री छाजुराम समस्त जाति अहीर निवासी कूनेड, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0

अतः वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 03 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

डिक्री आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डॉ. साधना शर्मा RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	1	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	1
जोड़		जोड़	